आर.ई.ओ. 204

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक.जेपीडी / अधी.अभि. / आरई / पत्रा.1201 / प्रे. 2242 दिनांक 15.01.09

आदेश

विषयः निरस्त की गई कृषि पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने के संबंध में

दिनांक 01.04.2007 एवं इसके पश्चात कृषि आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये थे, उनमें से जिन आवेदकों द्वारा मांग पत्र राशि किसी कारणवश जमा नहीं करवाई जा सकी एवं उनकी पत्रावलियां निरस्त हो गई हैं, उनको राहत देने के उद्देश्य से मांग राशि जमा कराने का एक और अवसर प्रदान किया जाता है।

इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आवेदकों जिनकी कृषि पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 1.04.2007 एवं इसके बाद जारी हुए एवं जो किसी कारणवश मांग राशि जमा नहीं करवा सके एवं पत्रावलियां निरस्त हो गई हैं उन आवेदकों को दिनांक **1.02.2009 से 15.02.2009** तक संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा मांग पत्र राशि मय पत्रावली पुर्नजीवित राशि रू 500/- जमा कराने हेतु रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किय जावेगा।

उपरोक्त वर्णित आवेदक दिनांक **01.03.2009 से 15.03.2009** तक मांग पत्र राशि मय पुर्नजीवित शुल्क रू 500/- जमा करवा सकते हैं।

(एच एस मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (आर